N.C.R.B/एन.सी.आर.बी
I.I.F.-I /एकीकृत जाँच फार्म-I

# FIRST INFORMATION REPORT
## Under Section 173 B.N.S.S.

## (प्रथम सूचना रिपोर्ट )
## अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2024

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0239 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 28/10/2024 18:55 बजे

| S.No. (क्र.सं.) | Acts (अधिनियम) | Sections (धाराएँ) |
|---|---|---|
| 1 | भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित) | 7 |
| 2 | भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित) | 7A |
| 3 | भा दं सं 1860 | 384 |
| 4 | भा दं सं 1860 | 120-B |

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 05/01/2023 **Date To (दिनांक तक):** 20/03/2023

**Time Period (समय अवधि):** पहर **Time From (समय से):** 18:17 बजे **Time To (समय तक):** 15:00 बजे

(b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 28/10/2024 **Time (समय):** 15:00 बजे

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 002 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 28/10/2024 18:55:08 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** NORTH, 20 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

(b)**Address(पता):** UTHMN TOL PLAJA PALADI M, DISTRICT SIROHI

(c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

**Name of P.S (थाना का नाम):** **District(State) (जिला (राज्य) ):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** BHRATLAL JOGI

(b) **Father's Name (पिता का नाम):** SHRIYA JOGI

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 1985 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**
**Date of Issue (जारी करने की तिथि):** **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण( राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):

| S.No. | Id Type | Id Number |
|---|---|---|
| | | |

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

| S.No. (क्र. सं.) | Address Type (पता का प्रकार) | Address (पता) |
|---|---|---|
| 1 | वर्तमान पता | GOTHDA, LAXMANGARH, BAHTU KALAN (DEVI DHOLAGARH), ALWAR, RAJASTHAN, INDIA |
| 2 | स्थायी पता | GOTHDA, LAXMANGARH, BAHTU KALAN (DEVI DHOLAGARH), ALWAR, RAJASTHAN, INDIA |

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):** [redacted]

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

**Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):**

| S.No. (क्र.सं.) | Name (नाम) | Alias (उपनाम) | Relative's Name (रिश्तेदार का नाम) | Address (पता) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GAORV SKSENA | | पिता: GANESHCHANDRA SKSENA | 1. G.T. ROAD,GAUSHALA,DHOLPUR,RAJASTHAN,INDIA |
| 2 | GULABSINGH AND FLAING N0. DFS125 SADASYA | | पिता:MAGSINGH DEVDA | 1. GANW POST KHINWADI,SUMERPUR,PALI,RAJASTHAN,INDIA |

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण( यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

| S.No. (क्र.सं.) | Property Category (सम्पत्ति श्रेणी) | Property Type (सम्पत्ति के प्रकार) | Description (विवरण) | Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में)) |
|---|---|---|---|---|

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | सिक्के और मुद्रा | रुपये | | 500.00 |

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
**(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में) ):** 500.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

| S.No. (क्र.सं.) | UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या) |
|---|---|

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
**(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):**

निवेदन हैं कि श्री भरतलाल जोगी पुत्र श्री श्रीया जोगी, गोठडा, उम्र 39 साल, पैशा ट्रक चालक, निवासी गोठड़ा, तहसील लक्ष्मणगढ़, पुलिस थाना बहतू कला देवी धौलागढ़, जिला अलवर, हाल ट्रक चालक, ट्रक नं. आर.जे. 14, जी.जे. 9651, मोबाईल नम्बर-[redacted] द्वारा दिनांक 20.03.2023 को ब्यूरो कार्यालय सिरोही पर उपस्थित होकर एक निम्नानुसार लिखित रिपोर्ट दी कि- "श्री गणेशाय नम" सेवामें, श्रीमान अतिरिक्त अधिकक्षक मोहद, जिला सिरोही (राजस्थान) विशयः- शिकायत दर्ज कर कानूनी कार्यवाही करने के क्रम में। महोदयजी, उपरोक्त निवेदन हैं की मैं भरतलाल योगी पुत्र श्री श्रीया योगी, गांव गोठड़ा, थाना बहतू कैला देवी धौलागढ़ का रहने वाला हू ड्राईवर हू। श्रीमान निवेदन हैं की मैं गाडी लेकर गूजरात से यूपि की और जा रहा था जिसका नम्बर यह आर.जे. 14, जी.जे. 9651 रास्ते मे सिरेाही आर.टी.ओ. गोरवसिंह मिला जिसने हमसे सीधा ही इन्टरी के नाम से अवैध वसूली मांगी हमने इन्कार कर दिया तब उन्होंने नियम विरूद्ध चालान किया। ये साहब सभी ड्राइवर ये अवैध वसूली लूटते हैं। अगर कोई नही देता है उसका नियम विरूद्ध चालान करते हैं। अतः श्रीमान निवेदन हैं ऐसे आधिकारी की जांच कर कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करें। दिनांक 05.01.2023 संलग्र- विडियो की एक सीडी व दिनांक 05.01.2023 को ट्रक के चालान की प्रति। प्रार्थी -एस.डी.- भरतलाल जोगी मोबाईल नंबर-[redacted] कार्यवाही पुलिस परिवादी की उक्त लिखित रिपोर्ट इस कार्यालय को प्राप्त होने पर पर निर्देशानुसार इसका सत्यापन श्री ओमप्रकाश चौधरी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्र.नि.ब्यूरो सिरोही द्वारा किया गया। निवेदन हैं कि परिवादी श्री भरतलाल जोगी पुत्र श्री श्रीया जोगी, गोठडा, उम्र 39 साल, पैशा ट्रक चालक, निवासी गोठड़ा, तहसील लक्ष्मणगढ़, पुलिस थाना बहतू कला देवी धौलागढ़, जिला अलवर, हाल ट्रक चालक, ट्रक नं. आर. जे. 14, जी.जे. 9651, मोबाईल नम्बर-[redacted] ने दिनांक 20.03.2023 को ब्यूरो कार्यालय सिरोही पर उपस्थित होकर एक लिखित रिपोर्ट मय स्वयं के मोबाईल से दिनांक 05.01.2023 की सांय को बनाये गये विडियो की एक सीडी व दिनांक 05.01.2023 को उसके उक्त ट्रक के चालान की प्रति पेश कर बताया कि परिवहन विभाग सिरोही की फ्लाईंग के अधिकारी व कर्मचारी द्वारा हम ट्रक चालकों को नाजायज रूप से तंग एंव परेषान किया जाता हैं एंव हर बार अवैध वसूली की जाती हैं। मेरा ट्रक यूपी से गुजरात व गुजरात से यूपी के बीच चलता हैं, इस दौरान हर बार सिरोही से गुजरता हैं। सिरोही में उथमण टोल प्लाजा पर आर.टी.ओ. सिरोही के इंसपेक्टर गौरवसिंह ने एन्ट्री मांगी एंव मना करने पर मेरा चालान बना दिया। इस घटनाक्रम की मेरे द्वारा दिनांक 5.1.2023 को मेरे मोबाईल मे रिकॉर्डिंग की गई थी, जिसकी सीडी पेश कर रहा हूं। वगैरहा रिपोर्ट पर परिवादी से पूछताछ कर विडियो सीडी का अवलोकन कर परिवादी को मुनासिब हिदायत कर फॉरिक किया गया। उक्त रिपोर्ट एंव विडियो सीडी परिवाद दर्ज की अनुषंषा सहित कार्यालय पत्रांक 304 दिनांक 21.03.2023 के संलग्न सक्षम माध्यम से ब्यूरो मुख्यालय प्रेषित की गई। तत्पष्चात दिनांक 05.05.2023 को उक्त परिवादी श्री भरतलाल योगी ने पुनः ब्यूरो कार्यालय पर उपस्थित होकर एक ओर विडियो सीडी पेश कर बताया कि मैंने पूर्व में दिनांक 20.03.2023 को जो रिपोर्ट व विडियो सीडी पेश की थी, उसमें परिवहन विभाग के अधिकारी व कर्मचारी का एन्ट्री (पैसे) लेते का फुटेज नहीं था, इसलिए हिदायतानुसार उसके पश्चात मैंने प्रयास किया ओर दिनांक 31.03.2023 को सिरोही से षिवगंज की तरफ मेरा ट्रक लेकर सांय करीबन 5:30 पी.एम. उथमण टोल प्लाजा के पास पंहुचा टोल के दूसरी तरफ परिवहन विभाग सिरोही की गाडी को देखकर मैंने मेरे मोबाईल की विडियो रिकॉर्डिंग ऑन की व टोल पार करके आगे निकला तो परिवहन विभाग का एक गॉर्ड आया व मेरे से 500 रू. एन्ट्री ली, जिसकी मैंने मेरे मोबाईल में रिकॉर्डिंग कर उसकी सीडी तैयार की हैं, इसमें परिवहन विभाग का एक गॉर्ड मेरे से 500 रू. प्राप्त करते हुए स्पष्ट नजर आ रहा हैं। जिस पर उक्त विडियो सीडी का अवलोकन कर कार्यालय पत्रांक 482 दिनांक 05.05.2023 के संलग्न परिवाद दर्ज की अनुषंषा सहित सक्षम माध्यम से ब्यूरो मुख्यालय प्रेषित की गई। उपरोक्त दोनों कार्यालय पत्रांक 304 दिनांक 21.03.2023 व 482 दिनांक 05.05.2023 के संलग्न विडियो सीडी के परीक्षणोपरान्त ब्यूरो मुख्यालय द्वारा आदेश क्रमांक- भ्रनिब्यूरो/परि. /2023/10576-77 दिनांक 17.08.2023 से परिवाद संख्या 16/2023 दिनांक 17.08.2023 दर्ज कर सत्यापन के निर्देश दिए गए। जिस पर परिवाद का सत्यापन मन् ओमप्रकाश चौधरी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्र.नि.ब्यूरो सिरोही द्वारा किया गया। परिवाद सत्यापन के दौरान परिवादी द्वारा पेश रिपोर्ट, चालान प्रति एंव दोनों विडियो सीडी का अवलोकन कर

कार्यालय जिला परिवहन अधिकारी सिरोही से दिनांक 05.01.2023 व 31.03.2023 का डियूटी रोस्टर प्राप्त कर परिवादी श्री भरतलाल योगी व जिला परिवहन अधिकारी सिरोही के श्री मोहनसिंह कनिष्ठ सहायक से जांच कर बयान लेखबद्ध किये गये। संदिग्ध अधिकारी श्री गौरव सक्सेना परिवहन निरीक्षक से जांच कर स्पष्टीकरण कथन लिये जाकर विश्लेषण कर सत्यापन पूर्ण किया गया। दौराने सत्यापन प्राप्त मौखिक एंव अभिलेखीय साक्ष्यों से पाया कि परिवादी श्री भरतलाल योगी पुत्र श्री श्रीया नाथ जाति योगी, उम्र 38 साल, पैशा ट्रक चालक, निवासी गोठड़ा, तहसील लक्ष्मणगढ़, पुलिस थाना बहतू कला देवी धौलागढ़, जिला अलवर के पास एक गुड्स गाड़ी नंबर आर.जे. 14, जी.जे. 9651 हैं, जो गुजरात से यू.पी. के बीच माल सप्लाई में चलती हैं, तथा महिने में दो-तीन ट्रिप (चक्कर) इस रूट से करती हैं, इस गाडी पर परिवादी श्री भरतलाल योगी स्वयं ड्राईवरिंग करता हैं, इस दौरान उक्त गाड़ी गुजरात बोर्डर मण्डार से आगे षिवगंज तक करीब सौ किलोमीटर सिरोही जिले में चलती हैं, इस दौरान मण्डार या सिरोही के उथमण टोल प्लॉजा के पास आर.टी.ओ. (परिवहन विभाग) वाले इन लोगों से चैकिंग के नाम पर अक्सर 500 रू. की अवैध वसूली (एन्ट्री) करते हैं। जबकि चालक के अनुसार इनकी गाडी के सभी कागजात एंव स्टेटस सही होते हैं, फिर भी परिवहन विभाग सिरोही की फ्लाईंग द्वारा इन लोगों से अवैध वसूली की जाती हैं। जिनकी इन्हें कोई रसीद नहीं दी जाती हैं। सत्यापन से पाया कि दिनांक 05.01.2023 को परिवादी का ट्रक मण्डार से होते हुए सिरोही के पालड़ी एम (उथमण टोल प्लॉजा) से निकला था, परिवादी को उथमण टोला प्लॉजा के आगे परिवहन विभाग सिरोही की फ्लाईंग की पूर्व जानकारी होने पर उसने टोल प्लॉजा पर पंहुचने से पूर्व ही अपने मोबाईल की विडियो रिकॉर्डिंग ऑन कर विडियो रिकॉर्डिंग प्रारंभ कर दी थी, उस दौरान अर्थात विडियो के अनुसार रिकॉर्डिंग समय 2◌:38 मिनट पर एक खाकी कपडे पहना हुआ व्यक्ति चालक से एन्ट्री का कहता हैं, जिस पर चालक एन्ट्री न देने का कहता हैं, तब खाकी वस्त्रधारी चालान काटने का बोलता हैं, जिस पर चालक गाडी से उतरकर रिकॉर्डिंग वक्त 4◌:55 मिनट पर परिवहन विभाग के राजकीय वाहन बोलेरो के पास जाकर गॉर्ड द्वारा एन्ट्री मांगने की बात कहता हैं, जिस पर गाडी के बाहर पीछे की तरफ सडक खड़ा एक सादा वस्त्रधारी व्यक्ति चालक से नम्बर प्लेट के 5000 रू. होने व चालान कटवाने की बात कहता हैं। जिस पर चालक पुनः अपनी गाडी के पास जाकर अपना ड्राईवरिंग लाईसेन्स व दस्तावेज लेकर रिकॉर्डिंग वक्त 6◌:20 मिनट पर वापस परिवहन विभाग की गाडी के पास आकर गाडी में फ्रण्ट सीट पर बैठे श्री गौरव सक्सेना परिवहन निरीक्षक को देता हैं, जिस पर परिवहन निरीक्षक गाडी के कागजातों में कमी/बेषी निकालकर सीट बेल्ट नहीं होने का कहता हैं, तो चालक सीट बेल्ट लगा होकर सब सही होने की बात कहता हैं। जिस पर रिकॉर्डिंग वक्त 7◌:30 मिनट पर परिवहन निरीक्षक गाडी के पीछे की तरफ नंबर प्लेट का अवलोकन कर नम्बर प्लेट आधी कटी होने की बात कहते हुए चालक को दिखाता हैं, ओर गाडी का नम्बर प्लेट नियमानुसार नहीं होने का चालान बना देता हैं। जिस पर चालक परिवहन निरीक्षक से बहस करते हुए कहता हैं कि आपको पैसे दो तो सब सही, वरना चालान, जिस पर परिवहन निरीक्षक कौनसे पैसे कहता हुआ उसे उसके सेठ/वाहन स्वामी से बात कराने का बोलता हैं, किन्तु चालक अपने वाहन मालिक से बिना बात कराये चालान लेकर चला जाता हैं। उक्त विडियो रिकॉर्डिंग करीबन 12◌:00 मिनट की हैं। सत्यापन से पाया कि इसी प्रकार परिवादी श्री भरतलाल योगी दिनांक 31.03.2023 को वापस अपना ट्रक लेकर उथमण टोल प्लॉजा से निकलता हैं और उस दिन भी अपने मोबाईल से विडियो बनाता हैं, करीबन दो मिनट के उक्त विडियो में रिकॉर्डिंग समय 1◌:35 मिनट पर एक खाकी वस्त्रधारी गॉर्ड परिवादी/चालक की गाडी के पास ड्राईवरिंग साईड पर आता हैं, जिसे चालक एक पांच सौ रू. का नोट पकड़ाता हैं और आगे निकल जाता हैं, इसके अलावा इस विडियो में अन्य कोई घटना या वार्ता रिकॉर्डिंग नहीं हैं। सत्यापन के दौरान उक्त दोनों विडियो रिकॉर्डिंग के घटनाक्रम में नजर आ रहे व्यक्तियों की पहचान बाबत् श्री मोहनसिंह कनिष्ठ सहायक डी.टी.ओ. कार्यालय सिरोही से जांच कर बयान लिये गये तो उसने दिनांक 5.1.2023 के विडियो में एन्ट्री मांगने वाले खाकी वस्त्रधारी व चालक के परिवहन विभाग की गाडी के पास आने पर गाडी के पीछे की तरफ सडक पर खडे व्यक्ति द्वारा चालक को नम्बर प्लेट के 5000 होते हैं, कहने वाले की पहचान से इन्कार करते हुए बताया कि ये दोनों हमारे विभाग के कर्मचारी या संविदाकर्मी नहीं हैं, उक्त घटनाक्रम के दौरान परिवादी के वाहन की नंबर प्लेट चैक कर चालान बनाने वाले वर्दीधारी की पहचान श्री गौरव सक्सेना परिवहन निरीक्षक के रूप में की गई। दिनांक 31.03.2023 के विडियो में परिवादी/चालक से 500 रू. का नोट प्राप्त कर अपनी जेब मंे रखने वाले की पहचान गवाह मोहनसिंह द्वारा संविदाकर्मी श्री गुलाबसिंह के रूप में की गई। परिवहन विभाग से प्राप्त सूचनानुसार उक्त 31.03.2023 को भी फ्लाईंग प्रभारी श्री गौरव सक्सेना परिवहन निरीक्षक ही थे, जो उक्त 31.3.2023 के विडियो में नजर नहीं आ रहे हैं। तत्पष्चात इस संबध में स्थिति स्पष्ट करने हेतु संदिग्ध श्री गौरव सक्सेना परिवहन निरीक्षक से जांच कर स्पष्टीकरण लिया गया, तो उसने भी श्री मोहनसिंह कनिष्ठ सहायक के बयानों की तरह दिनांक 05.01.2023 के विडियो में नजर आने वाले दोनों व्यक्तियों को नहीं जानने, उक्त के परिवहन विभाग के कर्मचारी/संविदाकर्मी नहीं होने व टोल प्लाजा के आस-पास खडे वाहनों के स्टाफ या अन्य प्राईवेट हो सकते हैं, इत्यादि बताया। जिससे यह स्पष्ट हैं कि उक्त दोनों प्राईवेट व्यक्ति हैं, जो हो सकता हैं कि वसूली हेतु परिवहन विभाग की फ्लाईंग के साथ रहते हैं, किन्तु जान-बूझकर पहचान नहीं बताई जा रही हैं। उक्त विडियो में पैसों के लेन-देन की कोई फुटेज नहीं हैं, बल्कि एक खाकी वस्त्रधारी व्यक्ति द्वारा बोलकर परिवादी से एन्ट्री मांगते दिख रहा हैं, जो कि परिवहन विभाग का कर्मचारी/संविदाकर्मी नहीं हैं, तथा इस विडियो में श्री गौरव सक्सेना परिवहन निरीक्षक परिवादी/वाहन का

नंबर प्लेट नियमानुसार नहीं होने का चालान बनाते हुए दिख रहा हैं, एंव परिवादी द्वारा पेश चालान प्रति में भी उक्त नंबर प्लेट संबधी चालान होना व इसकी प्रशमन राषि 5000 रू. होना अंकित हैं। सत्यापन से दिनांक 31.03.2023 को सांय की फ्लाईंग सं. डी.एस.एफ. 125 वाहन बोलेरो नं. आर.जे. 14 यूबी 8668 के वाहन चालक श्री गुलाबसिंह संविदाकर्मी द्वारा परिवादी/वाहन चालक से 500 रू. का एक नोट प्राप्त कर अपनी जेब में रखता हुआ विडियो फुटेज में स्पष्ट नजर आ रहा हैं, फुटेज में परिवहन विभाग का वाहन एंव प्रभारी श्री गौरव सक्सेना परिवहन निरीक्षक नजर नहीं आ रहे हैं, इस संबध में दौराने जांच संदिग्ध श्री गौरव सक्सेना ने बताया कि फुटेज के अनुसार वाहन टोल नाके से षिवगंज की तरफ निकला था एंव फ्लाईंग का वाहन खाली साईड की तरफ रोड के एक तरफ खडा था जबकि गॉर्ड विपरीत दिषा में चालक साईड की तरफ जाकर चालक से पैसे लेते हुए दिखाई दे रहा हैं, विपरीत दिषा में होने से उक्त घटनाक्रम पर मेरी नजर नहीं थी, एंव न ही उक्त घटनाक्रम मैंने देखा, मेरी जानकारी के बिना उक्त संविदाकर्मी द्वारा चालक से पैसे लिये गये हैं, बल्कि मेरे द्वारा इन्हें गाडी की बिल्टी चैक करने व कमी पाई जाने पर दस्तावेजों के साथ चालकों को फ्लाईंग की गाडी तक बुलाने के ही निर्देश हैं, उसके बाद कमियां पाई जाती हैं तो मेरे द्वारा नियमानुसार चालान बनाया जाता हैं, मेरे द्वारा न तो किसी से पैसे मांगे जाते हैं एंव न ही लिये जाते हैं, तथा न ही फ्लाईंग के किसी स्टाफ को पैसे मांगने व लेने हेतु कहा जाता हैं। श्री गुलाबसिंह संविदाकर्मी द्वारा 500 रू. मेरी जानकारी के बिना अपने स्तर पर ही लिये गये थे, इस बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं हैं। किन्तु प्रथम दृष्टिया फ्लाईंग प्रभारी होने के नाते श्री गौरव सक्सेना परिवहन निरीक्षक की यह जिम्मेदारी बनती हैं कि फ्लाईंग का कोई स्टाफ ट्रक चालकों से अवैध वसूली नहीं करें, यदि प्रभारी की उपस्थिति में फ्लाईंग स्टाफ अवैध वसूली करते हैं तो फ्लाईंग प्रभारी भी बराबर जिम्मेदार हैं, तथा स्टाफ व प्रभारी की आपसी मिलीभगत से ही अवैध वसूली (एन्ट्री) लेना माना जायेगा। सत्यापन से पाया गया कि दिनांक 31.03.2023 को श्री गुलाबसिंह संविदा कर्मी फ्लाईंग सं. डी.एफ.एस. -125 के इन्चार्ज श्री गौरव सक्सेना परिवहन निरीक्षक मय दल के साथ वाहन चालक की हैसियत से डियूटी पर उथमण टोल प्लाजा के पास गया था, जिनकी सांयकालीन डियूटी थी, एंव परिवादी श्री भरतलाल योगी जब अपना वाहन लेकर वक्त करीबन 5०:30 पी.एम. पर टोल प्लाजा को पार किया तो उस समय श्री गौरव सक्सेना परिवहन निरीक्षक की फ्लाईंग सं. डी.एफ.एस.-125 ही उथमण टोल प्लॉजा के पास डियूटीरत थी एंव उसी समय वाहन चालक श्री गुलाबसिंह संविदाकर्मी द्वारा परिवादी/चालक से एन्ट्री के नाम पर 500 रू. प्राप्त किये गये थे। इस प्रकार सत्यापन से जिला परिवहन अधिकारी सिरोही की फ्लाईंग सं. डी.एफ.एस.-125 के इन्चार्ज श्री गौरव सक्सेना परिवहन निरीक्षक एंव श्री गुलाबसिंह संविदाकर्मी एंव अन्य के द्वारा आपसी मिलीभगत कर डियूटी समय में उथमण टोल प्लॉजा के आगे हाईवे पर नाका लगाकर वहां से गुजरने वाले विभिन्न ट्रकों के चालकों को चालान का भय दिखाकर एन्ट्री के नाम पर अवैध रूप से पैसे वसूल कर उसकी कोई रसीद संबधित को नहीं देकर राजकोश को अनुचित आर्थिक हानि पंहुचाना पाया जाने से उक्त के विरूद्ध अपराध अन्तर्गत धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संषोधित 2018) तथा 384, 120बी आई.पी.सी. घटित होना प्रथम दृष्टिया प्रमाणित पाया गया हैं। अतः आरोपीगण श्री गौरव सक्सेना पुत्र श्री गणेशचन्द्र सक्सेना, निवासी गौशाला, जी. टी. रोड धौलपुर हाल परिवहन निरीक्षक, इन्चार्ज फ्लाईंग सं. डी.एफ.एस.-125 दिनांक 31.03.2023 कार्यालय जिला परिवहन अधिकारी, सिरोही व श्री गुलाबसिंह पुत्र श्री मगसिंह देवडा, गांव पोस्ट खिवांदी, तहसील सुमेरपुर, जिला पाली हाल संविदा वाहन चालक कर्मचारी, इन्चार्ज फ्लाईंग सं. डी.एफ.एस.-125 दिनांक 31.03.2023 कार्यालय जिला परिवहन अधिकारी, सिरोही एवं फ्लाईंग सं. डी.एफ.एस.-125 अन्य सदस्यगणों के विरूद्ध अपराध अन्तर्गत धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संषोधित 2018) तथा 384, 120बी आई.पी.सी. में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट कता की जाकर क्रमांकन हेतु प्रेषित कर निवेदन है कि अपराध दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान के आदेश फरमावें। नोट- परिवादी द्वारा लिखित रिपोर्ट में स्वयं व अपने पिताजी के नाम को कई स्थान पर भरतलाल योगी पुत्र श्री श्रीया नाथ योगी लिखा तथा कई स्थान पर भरतलाल जोगी अंकित होने से उक्त नाम की पुष्टि के संबंध में परिवादी से जरिये मोबाईल सम्पर्क कर स्वयं के आधार कार्ड की प्रति जरिये व्हाट्सअप मंगवाई जाकर अवलोकन करने पर परिवादी का नाम श्री भरतलाल जोगी पुत्र श्री श्रीया जोगी निवासी गोठडा जिला अलवर होना पाया जाने से प्रथम सूचना रिपोर्ट मंे उक्त नाम अंकित किया जा रहा हैं। भवदीय (रामेश्वर लाल) अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, सिरोही,.........कार्यवाही पुलिस.......... प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री रामेश्वर लाल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक,भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, सिरोही ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संषोधित 2018) तथा 384, 120बी आई.पी.सी. में आरोपीगण 1-श्री गौरव सक्सेना पुत्र श्री गणेशचन्द्र सक्सेना, निवासी गौशाला, जी.टी. रोड धौलपुर हाल परिवहन निरीक्षक, इन्चार्ज फ्लाईंग सं. डी.एफ.एस.-125 दिनांक 31.03.2023 कार्यालय जिला परिवहन अधिकारी, सिरोही,2.श्री गुलाबसिंह पुत्र श्री मगसिंह देवडा, गांव पोस्ट खिवांदी, तहसील सुमेरपुर, जिला पाली हाल संविदा वाहन चालक कर्मचारी, इन्चार्ज फ्लाईंग सं. डी. एफ.एस.-125 दिनांक 31.03.2023 कार्यालय जिला परिवहन अधिकारी, सिरोही एवं फ्लाईंग सं. डी.एफ.एस.-125 अन्य सदस्यगणों के विरूद्ध पंजिबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री मांगीलाल राठौड अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जिला जालौर को मनोनीत

किया गया है उक्त की रोजनामचा आम रिपोर्ट937पर अंकित है।(राहुल कोटोकी) उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर। क्रमांक 1294-99 दिनांक 28-10-2024 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्य हेतु प्रेषित है:-1-विशिष्ट न्यायधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, पाली। 2-आयुक्त, परिवहन एवं सडक सुरक्षा विभाग, राजस्थान,जयपुर।3-ManagingDirector,RajasthanEx- ServicemanCorporation Limited, Vidhyadhar nagar, Jaipur. 4-उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जोधपुर । 5-अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, सिरोही । 6- अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक-परि., भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर(परिवाद संख्या 16/2023) उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
**(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):**

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम ):** MANGI LAL RATHORE **Rank (पद):** अपर पुलिस अधीक्षक **or (या)**
**No(सं.):**
**to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

**or (के कारण इंकार किया, या)**

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**
**on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .**

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.
**(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई।)**
**R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)**

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

**Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)**

Signed by: Rahul Katakey
Location: Rajasthan,IN
Date: 28/10/2024 19:01:21

**Name(नाम):** RAHUL KATAKEY
**Rank (पद):** Dy. IG (Deputy Inspector General)
**No(सं.):**

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen )
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

| S.No.(क्र.सं.) | Sex (लिंग) | Date/Year of Birth ( जन्म तिथि / वर्ष) | Build (बनावट) | Height(cms.) (कद(से.मी)) | Complexion (रंग ) | Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Male | 16/02/1984 | | | | |
| 2 | Male | 13/07/1968 | | | | |

| Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ) | Teeth (दाँत) | Hair (बाल) | Eyes (आँखें) | Habit(s) (आदतें) | Dress Habit(s) (पहनावा) |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | | |
| | | | | | |

| Language /Dialect (भाषा /बोली) | Place Of(का स्थान) | | | | | Others (अन्य) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Burn Mark (जले हुए का निशान) | Leucoderma (धवल रोग ) | Mole (मस्सा) | Scar (घाव) | Tattoo (गूदे हुए का) | |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)